दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ *वर्ष 56* ❑ *अंक-22* ❑ *दिल्ली* ❑ *सितम्बर, 2018 (प्रथम)* ❑ *मूल्य : 2 रु.*

ताकि सनद रहे

भारत में दलित साहित्य यात्रा

– डॉ. सुमनाक्षर

भारत में 'दलित साहित्य' के उद्भव और विकास सम्बन्धी यात्रा के दौर पर विचार करते समय यह प्रश्न अचानक मस्तिष्क में कौंधते हैं कि दलित साहित्य का उदय पूरे देश में एक साथ क्यों नहीं हुआ? महाराष्ट्र में दलित साहित्य का उदय पहले क्यों हुआ और बाकी उत्तरी भारत में अन्य राज्यों में उसके बाद दलित साहित्य विलम्ब से क्यों अस्तित्व में आया? मराठी दलित साहित्य के तेवर हिन्दी दलित साहित्य से भिन्न क्यों हैं? मराठी दलित साहित्य महाराष्ट्र में राजनैतिक समीकरण बदलने में सफल क्यों नहीं हुआ?

दलित साहित्य यात्रा से सम्बन्धित उपरोक्त प्रश्नों को हल जानने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर पहले गौर करना होगा :

1. महाराष्ट्र व उत्तरी भारत में दलित साहित्य की पृष्ठभूमि क्या रही है?

2. महाराष्ट्र दलित साहित्य और हिंदी दलित साहित्य के प्रेरक पुरुष कौन हैं?

3. उन प्रेरक पुरुषों की विचारधारा और व्यक्तित्व में क्या अन्तर रहा है?

4. दलित साहित्य किन परिस्थितियों में किन आवश्यकता पूर्ति के लिए अस्तित्व में आया?

मराठी दलित साहित्य का उद्भव जहां इस सदी की छठे दशक को माना जाता हे, वहीं उत्तरी भारत में दलित साहित्य का प्रादुर्भाव आठवें दशक को माना जा सकता है। महाराष्ट्र में दलित साहित्य की जो भूमि संत चोखमेला, महात्मा ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ अपने सामाजिक कार्यों और जन जागरण से तैयार की, बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर ने महाड़ तालाब और कालाराम मंदिर सत्याग्रह आन्दोलनों से इसमें संघर्ष का बीज बोया, और उसे ऊर्जा दी उनके 'मूकनायक' व 'बहिष्कृत भारत' समाचार पत्रों ने। 1930-31 की लन्दन की गोलमेज कान्फ्रेंस में बाबा साहब के विद्वत्ता, तर्कशक्ति व राजनैतिक कुशलता से परिपूर्ण भाषण ने भारत में दलितों की दुर्दशा और सवर्णों की सामन्तशाही को उजागर करके रख दिया। वहां दलितों को हिन्दुओं से अलग दर्शाकर बाबा साहब जहां उन्हें भारत की सत्ता और सम्पदा में पृथक हिस्सेदारी दिलाना चाहते थे वहीं महात्मा गांधी दलितों को हिन्दुओं का अंग बताकर उन्हें वहीं सड़ने पर बाध्य कर रहे थे। अंग्रेज शासकों ने बाबा साहब की सच्चाई को समझकर दलितों को पृथक–निर्वाचन का अधिकार दे दिया। महात्मा गांधी को इससे हिन्दू अल्पसंख्यक रहने पर हिन्दू धर्म रसातल को जाता नजर आया। इसीलिए उन्होंने दलितों को 'कम्युनल अवार्ड' के तहत मिले पृथक निर्वाचन के खिलाफ आमरण अनशन की घोषणा कर दी। बूढ़े गांधी के मरने का कलंक बाबा साहब अपने सिर पर नहीं लेना चाहते थे, अतः उन्होंने 24 सितम्बर, 1932 को 'पूना पैक्ट' को मान लिया जिसके तहत गांधी ने दलितों को अन्य वर्णों के समान लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा। बाबा साहब के इस संघर्ष ने कालान्तर में 'दलित साहित्य' को जन्म दिया। चूंकि बाबा साहब की जन्म भूमि, कर्मभूमि और धर्म–दीक्षा–भूमि महाराष्ट्र थी, इसलिए वहां दलितों ने जहां सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्र में पहल की, वहीं स्वयं भोगे गये जीवन ओर आत्मानुभव के आधार पर मराठी साहित्य से हटकर नये 'मराठी दलित साहित्य' सृजन में भी पहल की।

1953 में प्रा. सुखराम हिवराले की अध्यक्षता में बम्बई में 'दलित साहित्य परिषद्' के बैनर तले दलित साहित्यकारों का पहला अधिवेश हुआ। इसके बाद तो दलित साहित्यकारों में जागृति आई जिसके फलस्वरूप पूरे महाराष्ट्र में दलित सम्मेलन, अधिवेशन, चर्चायें, परिचर्चायें, गोष्ठी, संगोष्ठी आरम्भ हुई। मराठी की दलित पत्र–पत्रिकाओं ने दलित साहित्यकारों की रचनायें छापकर प्रोत्साहित किया। 'रसराज', 'अस्मिता', 'अभिव्यक्ति', 'अनुभूति' पत्र–पत्रिकाओं ने दलित साहित्य को उभारने में शुरू में काफी मदद की। 1969 में 'अस्मिता–दर्श' त्रिमासिक पत्रिका प्रारम्भ हुई जिसने मराठी दलित साहित्य आन्दोलन को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। इसने लेखक मेला प्रारंभ किये। इन मेलों में निबन्ध वाचन, कवि सम्मेलन, परिचर्चा, कहानी वाचन, ग्रन्थ प्रदर्शन, चित्र प्रदर्शनी तथा स्मारिका प्रकाशन आदि कार्यक्रम आयोजित किये गये। 1974 में 'अस्मितादर्श' ने प्रतिवर्ष जो 'लेखक मेले' का आयोजन प्रारम्भ किया, उसमें जहां साहित्य की सभी विधाओं में हजारों दलित साहित्यकार और लेखक पैदा हुए, वहीं काफी मात्रा में मराठी दलित साहित्य का सृजन हुआ। इसी मराठी दलित साहित्य का दूसरी भाषाओं में अनुवाद होकर जब सामने आया तो उसने अन्य साहित्यकारों को सोचने पर विवश कर दिया। इसी से प्रभावित होकर श्री कमलेश्वर ने 1975 व 1976 में सारिका मासिक पत्रिका के 'दलित साहित्य' विशेषांक प्रकाशित किए

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सम्पादकीय

मोदी जी की सरकार– चार साल में ही देश बेहाल

आजकल देश के सभी टी.वी. चैनलों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2014 के आम चुनाव में लोगों से किये वायदे की जब विरोधी दल के प्रवक्ता याद दिलाते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बनने पर वह दो महीने के अन्दर विदेशों में भारतीयों का जमा काला धन वापिस लायेंगे और हर देशवासी के बैंक खाते में 15–15 लाख रुपये जमा करायेंगे। उन्होंने वायदा किया था कि हर वर्ष वे दो करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। देश से भ्रष्टाचार, महंगाई, रिश्वतखोरी, गुडांगर्दी बेरोजगारी खत्म करेंगे और देश में पारस्पारिक भाईचारे, प्रेम सद्भाव का वातावरण बनायेंगे ताकि देश का प्रत्येक नागरिक समाज में अपने को पूरी तरह सुरक्षित समझते हुए बिना किसी भय, असुरक्षा, भेदभाव के पूरी आजादी के साथ रह सके।

अब नरेन्द्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने चार साल से ज्यादा हो गया, उनका कोई वायदा पूरा हुआ नजर नहीं आता। न तो विदेशों में भारतीयों का जमा काला धन वापिस आया और न ही किसी भी नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा हुए, न ही हर साल दो करोड़ नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया गया, न ही महंगाई खत्म हुई, न भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और गुन्डागर्दी पर रोक लगी। देश में इसके उलट भय, डर, असुरक्षा का वातावरण छाया हुआ है। लोग भय और डर की छाया में जी रहे हैं।

आज मोदी जी के राज मे मुसलमान, ईसाई अपने को असुरक्षित समझकर भयभीत हैं। वहीं दलित शोषित समाज के लोगों पर भी बेकसूर अत्याचार हो रहे हैं। आज हिन्दू मुसलमान के बीच जहर घोलकर भेदभाव की दीवार खड़ी की जा रही है, वहीं दलितों का भारतीय संविधान प्रदत्त समता, स्वतंत्रता, न्याय व बन्धुता की बात करने पर उन्हें धमकाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और खुलेआम उनकी मां, बहन, बेटियों के साथ जबरन बलात्कार करके हत्या की जा रही है। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए मिले एस.सी./एस.टी अपराध विरोधक कानून को कमजोर कर दिया गया है। उनको आरक्षण कोटे में मिली सुविधाओं को खत्म किया जा रहा है। उन्हें पदोन्नति में मिले आरक्षण को भी रोक दिया गया है।

इस पर नरेन्द्र मोदी जी के बचाव में आये भा.ज.पा. प्रवक्ता दलील देते हैं कि उनके चुनावी वायदे तो सिर्फ जुमलेबाजी थे। चुनाव में हर मतदाता जानता है कि मोदी जी जो वायदे कर रहे हैं, वे कभी पूरे होने वाले नहीं हैं और न ही कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव जीतने पर उन्हें पूरा कर पायेगा। इसलिए कालाधन वापिस लाने और हरेक मतदाता के खाते में 15–15 लाख रु. जमा कराने और हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा सिर्फ 'जुमलाबाजी' था। जहां तक भ्रष्टाचार, महंगाई, रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी, बेरोजगारी खत्म करने की बात है, उसके लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं, पर हमें देखना चाहिए कि पिछली कांग्रेसी सरकार में जहां ये सब काफी ऊंचाई पर थे, अब उसमें कमी आई है।

मोदी सरकार की तुलना कांग्रेस सरकार से करते हुए जब उन्हें बताया जाता है कि कांग्रेसी सरकार में पेट्रोल 40 रु. लीटर था, डीजल 30 रु. लीटर, रसोई गैस सिलेंडर 300 रुपये का था वहीं मोदी सरकार में पेट्रोल 80 रु. लीटर, डीजल 70 रु. लीटर और रसोई गैस सिलेन्डर 800 रु. है। खाद्य पदार्थ, फल सब्जी भी मोदी सरकार में डबल हो गई हैं, तो इस पर खिसयाकर वे इधर–उधर की बात करने लगते हैं जब उनसे देश में बढ़े भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गुन्डागर्दी, बेरोजगारी के आंकड़े दिखाये जाते हैं

(शेष पृष्ठ 4 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी–3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

जिसने सवर्ण साहित्यकारों के साहित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्हें दलितों की वास्तविकता पर सोचने के लिए मजबूर किया।

इस तरह मराठी दलित साहित्य का प्रेरणास्रोत जहां बाबा साहब डा. अम्बेडकर हैं वहीं उत्तर भारत में दलित साहित्य के प्रेरक मैं बाबू जगजीवन राम को मानता हूं। यद्यपि हिन्दी के दलित साहित्य के आधार में बाबा साहब का आन्दोलन ही है, पर बाबू जी के दिशा निर्देश में उसे पनपने, पोषणे और आगे बढ़ने का जो मौका मिला, उसे भुलाया नहीं जा सकता। मराठी दलित साहित्य और हिन्दी दलित साहित्य के उद्‌भव का जो दो दशक का अन्तर है वह दलितों के मसीहा बाबा साहब डा. अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम के सानिन्ध्य के अलावा भाषा, प्रदेश और काल के कारण भी है।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर प्रायः मराठी और अंग्रेजी में लिखते थे। उनके विचार इन भाषाओं की पुस्तकों में उपलब्ध होने और बाबा साहब डा. अम्बेडकर का सानिन्ध्य, साक्षात्कार और भेंटवार्ता की सहज सुविधा का लाभ मराठी दलित लेखकों को आसानी से उपलब्ध हुआ, इस कारण से वहां पहले सामाजिक आन्दोलन और फिर दलित साहित्य आन्दोलन अपनी अलग पहचान लेकर उभरा। उत्तरी भारत में दलितों को बाबा साहब डा. अम्बेडकर के मिशन को समझने में थोड़ी देर लगी। इसका मुख्य कारण मैं बाबा

पृष्ठ 1 का शेष ....भारत में दलित साहित्य यात्रा

साहब डा. अम्बेडकर दलितों के एकमात्र नेता बनकर दलितों को कांग्रेस से अलग हटा न ले जाएं, इसी लिए कांग्रेस पार्टी जहां बाबू जगजीवन राम की छवि राष्ट्रीय दलित नेता के रूप में उभारती रही, वहीं बाबा साहब के हर कदम की आलोचना करके दलितों को उनसे दूर भगाने की कोशिश करती रही। बाबा साहब डा. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद कांग्रेस की राजनैतिक सोच बदली और उसने अब बाबू जगजीवन राम की छवि बनाने और बढ़ाने के स्थान पर उनके सामने अन्य छुटपुट दलित नेताओं को उभारकर उनकी अवमानना शुरू कर दी। बाबूजी की आंख तब खुली और सवर्ण हिन्दुओं की चाल तब समझ में आई जब उन्हें 1963 में 'कामराज प्लान' के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद् से अलग कर घर बैठा दिया गया। इसके बाद ही दलितों की मुक्ति और सामाजिक समता के लिए उनका उग्र रूप सामने आया। बाबा साहब डा. अम्बेडकर के महापरिनिर्वारण के बाद जो दलित अपने को 'असहाय' और 'अनाथ' महसूस कर रहे थे उन्हें तब बाबूजी ने विद्रोहात्मक उग्र स्वर में बाबा साहब की छवि नजर आने लगी। उन्होंने बाबूजी के साथ हुए विश्वासघात पर संवेदना व्यक्त करते हुए हुंकारा– 'बाबूजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।'

बाबूजी ने भी महसूस किया कि अब उन्हें दलितों के हितों की लड़ाई प्रमुख दलित युवा थे जिन्होंने वेदों व रामायण में से ब्राह्मणों के गोमांस खाने के उद्धरण देकर बाबूजी की हिमायत में पोस्टर छपवाकर दिल्ली की दीवारों पर चिपकाये और हैंडबिल छापकर बंटवायें।

इस घटना के बाद बाबूजी ने दलित लेखकों से इन्सान–इन्सान के बीच छुआछूत, भेदभाव और ऊंच–नीच की भावना भरने वाले हिन्दुओं के धार्मिक ग्रन्थों का अनुशीलन का भंडा फोड़ करने का आह्‌वान किया। साथ ही दलित समाज के सन्तों रविदास, कबीर, घासीदास, सदना, पीपा, त्रिलोचन आदि की समता भरी वाणियों का प्रचार–प्रसार पर जोर दिया। इससे पहली बार दलित लेखकों और पत्रकारों को वर्ण व्यवस्था, जात–पात, आडम्बर, ढोंग और ढपोरशंख हिन्दू धर्म और मनुस्मृति जैसे अमानवीय ग्रन्थों को समझने और उसकी समीक्षा करने का दिशा निर्देशन मिला। इससे सर्वश्री गोवरध्न लाल, बिहारी लाल हरित, मांगेराम भजनी, छेदी लाल साथी, भीम सिंह, छत्र सिंह राना जैसे लोक कवियों और गायकों ने प्रोत्साहित होकर हिन्दूधर्म का भंडाफोड़ करते हुए दलितोत्थान हेतु आह्‌वान तेज कर दिया।

हिन्दू समाज में कुएं या तालाब पर पशु या अन्य जानवर चढ़कर पानी पी सकते हैं पर दलित उस तालाब का पानी नहीं पी सकता। पर दलितों को तालाब पर चढ़ने, मंदिर में प्रवेश करने और अपना पैतृक पेशा बदलने की मनाही है, पर अगर वे हिन्दूधर्म छोड़कर अन्य ध से आ रहे हैं। हमें दलितों के धर्म परिवर्तन पर रोक लगवाने के लिए कानून बनवाना चाहिए वरना...''

अभी डा. कर्ण सिंह भाषण दे रहे थे कि मैंने मंच पर चढ़कर उनका माइक छीन कर कहा कि ''आप धर्मांतरण पर रोक लगाने से पहले अपने उन धार्मिक ग्रंथों पर रोक लगवाइये जिन्होंने दलितों के शिक्षा ग्रहण करने, उनके मंदिर में प्रवेश करने, उनके वेदशास्त्र पढ़ने का निषेध किया हुआ है। अगर दलित इतने गिरे हैं कि वे 'पेट्रो डालर' पर धर्म परिवर्तन करते हैं, तो तुम भी ध न खर्च करके यहां के मुसलमान और ईसाइयों को हिन्दू क्यों नहीं बना लेते?''

मेरे मंच से यह बोलने पर नीचे से श्री जयकिशन जाटव और अन्य दलित कार्यकर्त्ताओं ने मेरे समर्थन में जोर से नारे लगाये। 'जयभीम' 'जय बाबूजी' के नारों से पूरा सभागार गूंज उठा। पूरे 'कमायनी हॉल में खलबली मचने से उस दिन का आयोजन खत्म कर देना पड़ा। बाबूजी ने इस सफलता पर सभी कार्यकर्त्ताओं की पीठ थपथपाते हुए कहा कि 18 मार्च को जिस दिन वोट क्लब (नई दिल्ली) पर हिन्दू नेता 'विराट हिन्दू सम्मेलन' आयोजित करें उसी दिन दूसरी ओर देश के दलितों की ओर से नई दिल्ली में ही 'जागृति सम्मेलन' आयोजित किया जाए। इस आयोजन लिए वे अगर धर्म परिवर्तन करके मुसलमान या ईसाई बनते हैं तो उन्हें यह कहकर बदनाम किया जाता है कि वे अरब देशों से आये 'पेट्रो डालर' में बिक रहे हैं। बाबूजी ने अपने उद्‌घाटन भाषण में कहा कि देश में सरकार तुम्हारी है, गुप्तचर एजेंसी तुम्हारी है फिर भी 'पेट्रो डालर' बाहर से देश में कैसे आ रहे हैं? इससे लगता है कि तुम्हारी सरकारी एजेंसी ही 'फेल' है, या फिर तुम्हें शर्म आती है जब कोई दलित धर्मांतरण करके 'मुसलमान' बनकर तुम्हारे उसी कुएं व तालाब पर चढ़कर पानी पीता है जिस पर 'हिन्दू रहते उसको इजाजत नहीं थी। बाबूजी ने कहा कि अगर हिन्दू धर्म बचाना चाहते हो तो पहले अपने उन धार्मिक ग्रंथों पर पाबंदी लगवाओ जो वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, ऊंच–नीच, इंसानी भेदभाव के पोषक हैं, जिनमें अलग अलग जाति के लोगों के लिए अलग–अलग दंड विधान बनाकर रखा है। बाबूजी ने हिन्दू नेताओं को चेतावनी दी कि वे दलितों के चरित्र पर संदेह करने से पहले अपने गिरेबान में झांके जब तक दलितों को समाज में समता, सम्मान और न्याय नहीं मिलेगा, उन्हें जबरदस्ती घेरकर हिन्दू बनाकर नहीं रखा जा सकता।

बाबूजी के भाषण ने दलित जनसमूह को बहुत प्रभावित किया। बाबा साहब के रूप में हिन्दुओं के कट्‌टरपन से लड़ने वाला उन्हें अब नेता मिल गया। इसके बाद 'ब्राह्मणवाद' का पुतला जलाया गया, जिसकी ऊंची उठी लपटें

साहब डा. अम्बेडकर के साहित्य की सहज अनुपलब्धता, उनके सहज सानिन्ध्य की अप्राप्तता और उस समय शिक्षित युवा पीढ़ी का अभाव को मानता हूं। देश की आजादी प्राप्ति के बाद जन्मे दलित युवक बाबा साहब डा. अम्बेडकर की तस्वीर देखकर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व की कल्पना ही कर सकते हैं, पर उनमें से किसी ने साक्षात् दर्शन कर के सीधी प्रेरणा प्राप्त नहीं की, इसका सबसे बड़ा कारण 1956 में बौद्ध दीक्षा लेने के बाद ही उनका महापरिनिर्वाण कर जाना है। इसकी तुलना में उत्तरी भारत के अधिकांश दलित युवा पीढ़ी को बाबू जगजीवन राम का सीधा सानिन्ध्य मिला। वे हमेशा सत्ता में रहे, इस कारण भी अधिकांश लोगों का उनसे सीधा व सहज सम्पर्क रहा। फिर उनके भाषण, विचार मातृभाषा हिन्दी में सहज सुलभ होने के कारण यहां दलित उनसे ज्यादा प्रभावित हुए। इसके अलावा बाबा साहब डा. अम्बेडकर और बाबू जी दोनों दलित नेताओं का प्रचार इस ढंग से किया गया कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, जबकि यह बात वास्तविकता से कोसों दूर है।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर दलितों को सामाजिक मुक्ति दिलाकर उन्हें देश की सत्ता और सम्पदा में बराबर की हिस्सेदारी दिलाने चाहते थे। इसके लिए उनकी दृष्टि में संघर्ष के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वहीं बाबू जगजीवन राम भी सामाजिक समता के पक्षधर थे, पर कांग्रेस नेता होने के कारण इसे वे गांधीवादी तरीके से हासिल करने पर जोर देते थे। बाबा लड़ने के लिए बाबा साहब के संघर्ष का मार्ग अपनाना होगा, तभी उनके अधूरे कार्यों को पूरा किया जा सकेगा। भारतीय दलित वर्ग संघ के मंचों से उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष का आह्वान शुरू किया। इससे दलित शिक्षित युवक, दलित पत्रकार, लेखक और सामाजिक कार्यकर्त्ता उनके नेतृत्व में एकजुट होने लगे। 1967 में उन्होंने दलितों को समानता के अधिकार दिए जाने की मांग करते हुए संसद में यह कहकर खलबली मचा दी कि दलितों ने ब्राह्मणों की तरह कभी गोमांस नहीं खाया। वैदिक काल में ब्राह्मण गोमांस खाते थे। बस फिर क्या था, सारे देश में हिन्दू संस्थाओं ने उनके विरुद्ध जहर उगलना शुरू कर दिया और उन्हें अपने शब्द वापिस लेने तथा उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाने की मांग होने लगी। पिछले 40 वर्षों से जिस आर्य समाज को वह पोंगापंथी व ब्राह्मणवाद से दूर मानकर उसके सक्रिय सदस्य थे, उसने भी बाबूजी के बयान की आलोचना करके उनके खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पास किया। बाबूजी की अब आंख खुली और समझ में आया कि सभी सवर्ण हिन्दू अलग–अलग सम्प्रदाय में रहते हुए भी दलितों (शूद्रों) के मामलों में एक हैं।

जब सारा हिन्दू समाज बाबूजी के खिलाफ खड़ा हो गया तो दलितों के शिक्षित वर्ग ने आगे आकर उनकी कमर ठोकी। उस समय श्री सुन्दर लाल सागर एडवोकेट, श्री दयानन्द व्यास, आचार्य गुरू प्रसाद, श्री जय किशन जाटव, प्रेम चन्द आर्य आदि ार्म में चले जाते हैं तो कोई भी हिन्दू उन्हें कुएं या तालाब पर चढ़ने से नहीं रोक सकता। 1981 में मीनाक्षीपुरम में यही हुआ। जब वहां के दलितों को उस तालाब का पानी भी नहीं पीने दिया जिसका पानी ढोर–जानवर पीते थे, तो उन्होंने हिन्दू धर्म त्याग कर वे सभी, मुस्लिम धर्म अपनाकर मुसलमान बन गये। फिर क्या था, सारे देश में इस घटना ने तहलका मचा दिया। सभी हिन्दूधर्म के नेता एकजुट होकर धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग करने लगे। अपनी मांग के समर्थन में उस समय विश्व हिन्दू परिषद ने वोट क्लब (नई दिल्ली) पर 'विराट हिन्दू सम्मेलन' करने की घोषणा कर दी। इसी तैयारी के लिए नई दिल्ली के 'कमायनी सभागार' में हिन्दू नेताओं की एक सभा बुलाई गई।

बाबू जगजीवन राम धर्मांतरण पर रोक लगवाने के हिन्दू नेताओं की मांग के षड्यंत्र को समझ गये कि यह देश के दलितों को सदैव गुलाम बनाये रखने की साजिश है। इसीलिए उन्होंने दलित नेताओं की एक बैठक बुलाकर मुझे उनके साथ 'कमायनी सभागार' की सभा में दलितों की दुर्दशा और हिन्दुओं के उनके प्रति दुर्व्यवहार सम्बन्धी पक्ष रखने की जिम्मेदारी सौंपी। हम सभी दलित युवा कार्यकर्त्ता 'कमायनी सभागार' में श्रोता के रूप में वहां पहुंचे। उस समय मंच पर कमायनी सभागर में हिन्दूधर्म के नेता पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा. कर्ण सिंह बोल रहे थे–''हिन्दूधर्म का ह्रास हो रहा है। करोड़ों पेट्रो डालर यहां के दलितों को मुस्लमान बनाने के लिए अरब देशों की सारी जिम्मेदारी बाबूजी ने मुझ पर डाल दी। मैंने सभी साथियों के सहयोग से नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में 'विराट जागृति सम्मेलन' की घोषणा कर दी। बाबू जगजीवन राम जी इसमें मुख्य अतिथि थे जिन्हें सम्मेलन का उद्घाटन करना था। हमने भी अपने इस सम्मेलन का व्यापक प्रचार किया।

नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में 18 मार्च को 'विराट जागृति सम्मेलन' के लिए विशाल मंच बनवाया गया। उसके पास 30 फुट ऊंचा 'ब्राह्मणवाद' का पुतला बनाकर खड़ा किया गया। इस सम्मेलन में उत्तर भारत के सभी प्रदेशों के 25–30 हजार दलित सामाजिक कार्यकर्त्ता, धार्मिक नेता, लेखक और पत्रकार एकत्रित हुए। बाबूजी ने इस 'विराट जागृति सम्मेलन' को उद्घाटन करते हुए कहा कि हिन्दुओं ने हजारों सालों से दलित (शूद्र) समाज को दबाये रखा, गुलाम बनाये रखा और उनकी मां बेटी, बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया। पर अब वे दलित जाग गये हैं। बाबा साहब डा. अम्बेडकर के दिखाये संघर्ष के रास्ते पर अब वे निकल चुके हैं समाज में बराबरी का दर्जा पाने के लिए, और अपमान, जिल्लत, बेइज्जती की जिन्दगी से छुटकारा पाने के लिए। अगर हिन्दू उन्हें बराबरी का सम्मान नहीं देता, जिस तालाब और कुंओं का पानी डंगर, कुत्ते बिल्ली पीते हों, उसे भी पीने की उन्हें इजाजत न हो, तो फिर अपने अधिकार पाने और हिन्दुओं के इस घुटनभरे समाज से मुक्ति पाने के हिन्दू धर्म का भंडाफोड़ कर रही थीं। इसके बाद सभा समाप्ति पर अपार जनसमूह पुलिस बाधा को तोड़कर 'वोट क्लब' जाने लगा, पर बाबूजी के आग्रह पर दलित नेताओं ने विराट हिन्दू सम्मेलन के विरोध में गिरफ्तारियां दीं। हिन्दू समाज की विकृतियां दर्शाने, दलितों में जागृति पैदा करने और अपनी समस्याओं के लिए स्वयं संघर्ष की प्रेरणा देने में यह सम्मेलन सफल हुआ। अगले दिन के सभी समाचार पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर दोनों सम्मेलनों की खबरें सचित्र प्रकाशित हुईं।

इसके बाद एक दिन बाबूजी ने कहा कि सभी बड़े समाचार–पत्र हिन्दू घरानों के हैं जो दलितों की बात अपने पत्रों में छापने से बचते हैं। इसके लिए एक दैनिक पत्र छापने से भी काम नहीं चलेगा। इससे अच्छा यही है कि दलितों के जितने छोटे–छोटे समाचार पत्र निकलते हैं उनके सम्पादक व मालिकों को बुलाकर उन्हें दलित समस्या संबंधी लेख, समाचार छापने के लिए 'एक समान नीति' अपनाने का सुझाव दिया जाए, उन्हें यह भी समझाया जाए कि वे हिन्दुओं के गलत प्रचार का पर्दाफांस कैसे कर सकते हैं।

बाबूजी के दिशा निर्देशन में मैंने पहला दलित समाचार पत्र सम्पादकों का सम्मेलन 8 अगस्त, 1981 को नई दिल्ली में बुलवाया। हरिजन सेवक संघ, किंग्जवे कैंप, दिल्ली के सभागार में 8 अगस्त को यह आयोजित किया गया। पूरे भारत से 150 से ऊपर दलित समाचार पत्रों के सम्पादकों, लेखक व पत्रकारों ने सक्रियता के

पृष्ठ 1 का शेष ....भारत में दलित साहित्य यात्रा

साथ इसमें भाग लिया। 9 अगस्त को बाबूजी ने दलित सम्पादक सम्मेलन को अपने निवास स्थान पर सम्बोधित किया। बाबूजी ने दलित पत्रकार और लेखकों को सामाजिक कुरीतियों का पर्दाफांस करने, हिन्दू धर्म शास्त्रों का भंडाफोड़ करने और दलितोत्थान के लिए निडर होकर लिखने का आह्वान किया। रात्रि का भोज सभी प्रतिनिधियों को अपने घर पर अपने हाथों से कराकर उन्होंने आत्मीयता का परिचय दिया। सभी दलित लेखक प्रसन्न थे कि बाबूजी के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर पुनर्जीवित होकर उनके सामने आ गये हैं। इसके बाद दलित लेखन को नई दिशा और उद्देश्य पूर्ण निर्देशन मिला।

इसके दो वर्ष के बाद बाबूजी के निर्देशन पर दूसरा दलित समाचार पत्र सम्पादकों का सम्मेलन 6-7 अप्रैल, 1983 को नई दिल्ली में बुलवाया गया। कास्टीट्यूशन क्लब (नई दिल्ली) में इसका आयोजन किया गया। पूरे देश से लगभग 500 दलित समाचार पत्र सम्पादक, दलित लेखक, पत्रकार, इतिहासकार और दलित सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने इसमें भाग लिया। पहले दिन के सम्मेलन में दलित समाचार पत्रों की दलितोत्थान में भागीदारी विषय पर विचार–विमर्श हुआ। इसमें समाचार पत्रों की पहले सम्मेलन के बाद दलित समाचार पत्रों में परस्पर बनी एक रूपता का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि 'दलित लेखन' अब एक नया स्वरूप लेने लगा है और वह ब्राह्मणवाद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। अगले दिन के सम्मेलन को स्वयं बाबू जगजीवन रामजी ने सम्बोधित करते हुए कहा कि दलितों को हिन्दुओं के शब्द जाल से मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी है, उनकी चेतना जागृत करना और उन्हें हिन्दुओं के पूजा–पाठ, रीति–रिवाज व भाग्य– भाग्यवान से छुटकारा दिलाना, दलित लेखकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने लेखन से दलित समाज में पाखंडवाद के खिलाफ विद्रोह पैदा करें। उन्हें बाबा साहब के मूलमंत्रों–शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो से अवगत करायें ताकि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

बाबूजी का यह आह्वान दलित लेखकों के लिए नींव का पत्थर साबित हुआ। बाबा साहब डा. अम्बेडकर के विचारों का प्रचार–प्रसार किस तरह करें जिससे सदियों से सोया दलित समाज जाग उठे, बाबूजी जी ने इस विषय में दिशा निर्देशन देकर उन्हें आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इससे ही आगे बढ़कर उत्तरी भारत में 'दलित साहित्य' अंकुरित होकर आकार लेने लगा।

नई दिल्ली में 'साहित्य अकादमी' सरकार द्वारा पोषित साहित्यिक संस्था है जो जब से स्थापित हुई है तभी से 'अंधा बांटे रेवड़ी, फिर–फिर अपनों को दें' की कहावत चरितार्थ करती आ रही है। उसने कभी भी दलितोत्थान हेतु न तो साहित्य लिखवाया, न किसी दलित लेखक को प्रोत्साहित किया और न ही पुरस्कृत किया। वैसे भी यह ब्राह्मणवाद पोषक सरकारी संस्था होने के कारण दलितोत्थान को प्रोत्साहित कर उन्हें अपनों के बराबर दर्जा क्यों दे? उनकी इस हठधर्मी के खिलाफ कई बार प्रदर्शन हुए, सम्मेलन व सभाओं में शोर शराबा किया, पर बेशर्मों को 'शर्म' 'अपमान' से डर थोड़े ही लगता है। फिर वे ठहरे सरकारी 'सांड'। वे अपने बाड़े में दूसरों का हस्तक्षेप क्यों होने दें?

'साहित्य अकादमी' की दलित लेखक और साहित्यकारों की इसी उपेक्षा से पीड़ित होकर हम कुछ दलित साहित्यकारों ने 'भारतीय दलित साहित्य अकादमी' का गठन करने और इसका पहला सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। डा. श्याम सिंह शशि के प्रकाशन विभाग (भारत सरकार) के कार्यालय में इस बैठक में मेरे साथ शामिल थे डा. परमानन्द पांचाल, चौ. इन्द्र राज सिंह, श्री नवल वियोगी। इस विषय में हमने बाबू जगजीवन राम जी से विचार–विमर्श किया। उन्होंने 'भारतीय दलित साहित्य अकादमी' नाम से संस्था का गठन करने के हमारे सुझाव की सराहना करते हुए उसके प्रथम सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने और इसके उद्घाटन की स्वीकृति प्रदान कर दी।

6 अगस्त, 1984 को कांस्टीटूशन क्लब, नई दिल्ली के सभागार में पहला राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन आयोजित किया गया। पूरे देश में 600-700 दलित लेखक, पत्रकार, साहित्यकार और दलित कार्यकर्त्ताओं ने इसमें भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता डा. सोहनपाल सुमनाक्षर ने की। बाबू जगजीवन राम ने इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए 'भारतीय दलित साहित्य अकादमी' की स्थापना की घोषणा की और इसके संचालन की कमान संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डा. सुमनाक्षर को सौंपी। उन्होंने कहा कि समाज में दलित जब तक सभी क्षेत्रों में अपनी अलग से व्यवस्था करके नहीं चलेंगे, सदैव ब्राह्मणवाद के पिछलग्गू बने उनके गुलाम बने रहेंगे। आज साहित्यिक क्षेत्र में यह 'भारतीय दलित साहित्य अकादमी' की स्थापना दलित लेखन के नये कीर्तिमान स्थापित करेगी। इससे दलित लेखकों का दिशा निर्देशन तो होगा ही, उनकी रचनाओं का मूल्यांकन कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा सकेगा।

बाबू जगजीवन राम ने इस अवसर पर दलित लेखकों से ब्राह्मणवादी साहित्य का गहराई से अध्ययन करने पर जोर देते हुए कहा कि इसी से दलितों के पूर्वजों के गौरवमयी व पराक्रमी इतिहास का पता चलेगा जो उनके ग्रंथों में इधर–उधर बिखरा पड़ा है, उसे इकट्ठा करके ही हमें अपना दलितों का गौरवमयी इतिहास का निर्माण करना है। दुनिया के सामने उस रखकर हम फिर गर्व से सिर ऊंचा करके चल सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर दलित लेखक और साहित्यकारों ने इस अकादमी के माध्यम से जन चेतना का यह काम पूरा कर लिया तो दलित साहित्य की 'वैचारिक क्रांति' को कोई नहीं रोक पायेगा। यह बाबा साहब डा. अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो हमारी दिशा–निर्देशन का हमारा मार्ग प्रशस्त कर हमारे बीच से जल्दी ही चले गये। उनके अधूरे सपनों को हमें पूरा करना है। उनके कारवां को हमें आगे लग जाना है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप हिम्मत के साथ आगे बढ़े, और अकादमी के माध्यम से दलित साहित्य की रचना करके दलितों को सामाजिक गुलामी से मुक्त करें। याद रखो, अगर तुम्हें इज्जत व स्वाभिमान के साथ जीना है, तो पहले मरने के लिए तैयार रहना होगा। जब तुम मरना सीख गये तो समझ लो तुम्हें कोई मारने वाला नहीं रहेगा। कायर कौमे हजारों साल तक आजादी का इन्तजार करती है, पर जिन्दा कौम एक क्षण भी गुलाम नहीं रहना चाहती।

इस प्रथम दलित साहित्यकार सम्मेलन में दलित कविता, लघु कथा, कहानी, संस्मरण, आत्मकथा, पत्रकारिता, कला, धर्म, इतिहास पर खुलकर बहस हुई। विचार–विमर्श हुआ, दलित साहित्य की परिभाषा और उसकी सीमाओं पर खुलकर विचार हुआ। दलित लेखकों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए

संज्ञान सुरभि

• नरेंद्र नागदेव

संज्ञान शब्द की ताकत का मुझे अंदाजा नहीं था। जब हुआ तो हैरान रह गया। यानी एक बड़ी दुर्घटना, जो सहज ही भुला दी जाती, किसी अदालत द्वारा संज्ञान लेने ही जीवंत हो उठी। कानून के रखवाले तुरंत हरकत में आ गए, उसे सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए। वह अदृश्य से अचानक मूर्तिमान हो उठी। फिर समझ में आया कि अदालत की क्यों, किसी भी सक्षम 'अथॉरिटी' के संज्ञान में आ जाना पर्याप्त है। वह राजनेता, अध्किारी कुछ भी हो सकता है। ताकतवर हो बस। जब तक संज्ञान में नहीं आए, तब तक सब जायज हैं–अपराध, पाप, दुर्घटना, सब कुछ। इसलिए कि तब तक उनका कोई अस्तित्व नहीं होता।

सुना है, ग्रेटर नोएडा की बहुमंजिला इमारतें धड़ल्ले से सरकारी जमीन पर बन रही थी। वे कोई एक दिन में तो खड़ी हुई नहीं होंगी। विशालकाय थीं, सैकड़ों मजदूर लगे रहे होंगे, वह भी कई महीनों तक। कानून के वे तमाम संरक्षक, जिन पर जिम्मा रहा होगा ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने का, वे रोज उन्हें बनते हुए देखते रहे होंगे। लेकिन वही बात है कि उनका संज्ञान नहीं लिया गया होगा तो वे उन्हें नजर आती कैसे? ठीक उसी तरह, जैसे हर शहर की गलियों में सैकड़ों गैरकानूनी इमारतें धड़ल्ले से बनती रहती हैं, क्योंकि उनका 'सज्ञान' नहीं लिया जाता। 'संज्ञान' नहीं लिए जाने में ही सब कुछ लाभप्रद होता है और सुविधाजनक भी। तंत्र में ही खोट हो तो कोई क्या करें?

सारा काम निर्विध्न संपन्न हो जाता है। बल्कि ऐसी पक्की गोटियां बैठा दी जाती हैं कि आगे भी कोई आंच नहीं आए। ग्रेटर नोएडा में भी किसी की क्या मजाल थी? वह तो इत्तिफाक से दो इमारते गिर गईं, दस–बीस, जिंदगियां कुर्बान हो गईं, तब कही जाकर उनका 'संज्ञान' लिया गया। उसके बाद उनके आसपास की और दस–बीस इमारतें जो तब तक 'अदृश्य' थं, अनायास सबको नजर आने लगीं।

घटनाओं का घट जाना एक बात है, लेकिन उन पर कार्रवाई उनका 'संज्ञान' लिए जाने के बाद ही संभव है। एक युवा रिपोर्टर ने थाने में जाकर अधिकारी से शिकायत की कि घटना आपके ठीक सामने इसी सड़क पर हुई थी और वह भी दिन में और आप हैं कि पूछ रहे हैं कि कौन–सी घटना! अधिकारी अनुभवी थे। अपनी घनी मूंछों के पीछे से मुस्करा कर उन्होंने कहा कि देखो, घटना हुई, यह माना तभी जाएगा जब उसका 'संज्ञान' ले लिया गया हो। फिर रिपोर्टर को परेशान देख कर वे परम ज्ञानी की मुद्रा में आ गए और लगे हाथ उपदेश भी दे दिया कि भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे! उन्हें क्या पता नहीं था कि कौरवों की सभा में क्या घट रहा है द्रौपदी के साथ? लेकिन 'एक्शन' तो उन्होंने भी तभी लिया, जब द्रौपदी ने मदद की गुहार लगा कर घटना उनके 'संज्ञान' में दी!

करीब पच्चीस साल पहले कॉपोरेशन के दफ्तर में मेरी भी कुछ ऐसी ही ज्ञान वृद्धि अनायास ही हो गई थी। बतौर वास्तुशिल्पी एक घर डिजाइन किया था मालिक कानून कायदे से चलने वाले बेहद सज्जन पुरुष थ्ो। इसलिए जैसा नक्शा पास कराया था, वैसा ही निर्माण भी करवाया। जब उसके प्रमाण–पत्र के लिए नक्शा जमा करवाने गया तो संबद्ध अधिकारी ने उड़ती नजर से उन्हें देखा और रिश्वत या पैसे की बात कही। हमने निवेदन किया कि हमने जो नक्शा पास करवाया था, उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं किया और गैरकानूनी काम कुछ भी नहीं। तब उन्होंने गहरी नजरों से ताकते हुए कहा कि क्यों नहीं किया. .. हमने आपको मना किया था क्या! इस पर शालीन मकान मालिक भी चिढ़ गए और उनसे पूछा कि ठीक है, फिर अब कर लूं क्या? इस पर अधिकारी महोदय ने आगाह किया कि अब कुछ नहीं कर सकते। कारण कि यह मामला अब हमारे 'संज्ञान' में आ गया है।

यों एक अच्छी बात यह हुई है इन दिनों कि कोई घटना–दुर्घटना होती है, तो उसके वीडियो तुरंत ही तमाम टीवी चैनलों पर प्रसारित होने लगते हैं। चौबीस घंटों में तो उसका शोरगुल इतना बढ़ जाता है कि संबद्ध महकमा उसका 'संज्ञान' लेने को बाध्य हो जाता है। नहीं होता तो कभी–कभार अदालत खुद भी 'संज्ञान' ले लेती है। यानी एक घटना जो अन्यथा अनदेखी रह जाती, तुरंत ही अपने मूल स्वरूप में दुनिया भर के सामने खुल जाती है और न्यायिक प्रक्रिया भी कम से कम शुरू तो हो ही जाती है।

लेकिन यह भी कौन अच्छी स्थिति है कि घटनाएं खुलेआम घट जाने के बाद उन पर आरंभिक कार्रवाई शुरू करने के लिए भी उसे किसी सशक्त व्यवस्था अथवा अदालत के 'संज्ञान' में लाना पड़े। ग्रेटर नोएडा की जो इमारतें गिर गईं, वहां कार्रवाई उसी दिन शुरू हो जानी चाहिए थी, जब उस अवैध कार्य की नींव की खुदाई के लिए पहली कुदाल जमीन पर चली थी। लेकिन वह स्वर्णयुग आना फिलहाल सपना ही लगता है। भ्रष्टाचार और अदभ्य लालच मनुष्य से जो न करवा ले, वह थोड़ा। •

गये उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, डा. अम्बेडकर विशिष्ट सेवा पुरस्कार और डा. अम्बेडकर फैलोशिप सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई।

इसके बाद विधिवत रूप से उत्तरी भारत में 'दलित–साहित्य' लेखन का कार्य आरम्भ हुआ। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के परचम तले 1985 से जो दलित साहित्य यात्रा प्रारम्भ हुई थी वह अब 26 वर्षों के अन्दर पूरे भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, बंगलादेश तक पहुंच चुकी है। अकादमी अब तक 1000 प्रादेशिक सम्मेलन, 12 हजार जिला सम्मेलन तथा दो विश्व दलित साहित्यकार सम्मेलन, पहला नेपाल–धरान (1991) में व यू.के. (इंग्लैंड) में सन् 2000 में आयोजित कर चुकी है।

अकादमी की देश के सभी राज्यों में 35 प्रदेश शाखायें हैं जिनमें विभिन्न भाषाओं के एक लाख से अधिक दलित लेखक जुड़कर दलित साहित्य सृजन में संलग्न हैं। अब तक देश की विभिन्न भाषाओं में दलित साहित्य की विभिन्न विधाओं पर हजारों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। इससे प्रभावित होकर दलित समाज का काया पलट तो हुआ ही है, देश में धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षिक समीकरण भी बदले हैं। यदि दलित साहित्य यात्रा इसी गति से चलती रही तो भविष्य में असली साहित्य 'दलित साहित्य' ही सर्वत्र नजर आयेगा और इससे इत्तर साहित्य कूड़े के ढेर की शोभा बढ़ायेगा। ●

हिमायती
4 / सितम्बर (प्रथम), 2018 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 1-2 सितम्बर, 2018

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 30 अगस्त, 2018

सम्पादकीय का शेष....मोदी जी की सरकार–चार साल में ही देश बेहाल

तो इसकी तोहमत भी भाजपा प्रवक्ता कांग्रेसी राज की ही देन बताकर अपना मुंह बन्द कर लेते हैं।

मोदी जी के चार साल के शासन काल में गो रक्षकों द्वारा गोरक्षा के नाम पर देश के भाजपा शासित राज्यों में की गई मुसलमानों की हत्याओं और दलितों के नाम, पहनावे, शौक और मूंछे रखने के कारण उनकी मारपीट और हत्या किये जाने पर भाजपा प्रवक्ता यह कहकर चुप हो जाते हैं कि यह तो पहले भी होता था। दलितों को भी सामाजिक परम्पराओं का अनुपालन करना चाहिए। अफसोस की बात है कि आर.एस.एस. की घोर हिन्दूवादी नीति में सरोबोर ये भाजपा प्रवक्ता न तो मानवता में विश्वास रखते हैं, न भारतीय संविधान में और न ही लोकलाज में।

मोदी जी का चुनाव में मुख्य नारा होता था–'सबका साथ–सबका विकास।'' जब इस बावत पूछा जाता है तो वे विकास के झूठे आंकड़े बोलकर यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि देश में कितनी सड़कें बनीं, कितने स्कूल, अस्पताल, बने, कितने गांवों में बिजली पहुंची, कितनी महिलाओं को रसोई गैस चूल्हे दिये गये। कितने गांवों में शौचालय (टॉयलेट) बनाये गये। पर जब उनके इन आंकड़ों की सच्चाई बताई जाती है तो वे बगले झांकने लगते हैं। सच्चाई है भी यह कि सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल के जो आंकड़े वे बता रहे हैं वे सब योजनायें तो पिछली सरकार ने शुरू की थीं। जहां तक 3 करोड़ महिलाओं को फ्री रसोई गैस सिलेंडर चूल्हा देने की बात है, वे चूल्हे भी बिना जले यूं ही पड़े हैं क्योंकि उनके पास 800 रुपये का गैस सिलेंडर खरीदने का पैसा ही नहीं है। जहां तक 12 करोड़ शौचालय बनाये जाने की बात है, उनमें से आधे से ज्यादा गढ़े खुदेवाले अधूरे शौचालय हैं और उनमें से जो कुछ शौचालय पूरे बने भी हैं, वे बिना पानी के लावारिस पड़े हैं या गोदाम बना दिये गये हैं।

मोदी सरकार के इन चार सालों में अंधविश्वास, गुण्डागर्दी, धार्मिक भेदभाव चरमसीमा पर पहुंच चुकी है। जिसने भी अन्ध विश्वास के खिलाफ मुंह खोला, उन तर्कवादियों की गोली मार कर हत्या कर दी गई। ऐसे तर्कवादियों में कलबुर्जी, पानसारे, गौरी लंकेश प्रमुख हैं जिन्हें अन्धविश्वास के खिलाफ बोलने पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। बंधुवा मुक्ति मोर्चा के आर्य समाजी नेता स्वामी अग्निवेश का पिछले महीने झारखंड में आर.एस.एस. के भाजपा कार्यकर्त्ताओं ने मारपीट की और उनके कपड़े तक फाड़ डालें। उस घटना को अभी 15 दिन भी नहीं बीते होंगे, 17 अगस्त को जब स्वामी अग्निवेश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने भाजपा के दिल्ली कार्यालय पहुंचे तो बाहर ही भाजपा के गुंडे कार्यकर्त्ता ने उनके साथ फिर धक्का–मुक्के की और उनके ऊपर जूते–चप्पल फेंके। टी.वी. व समाचार पत्रों ने सचित्र यह खबर प्रसारित करके इसकी भर्त्सना की, पर भाजपा की ओर से किसी भी नेता ने इसकी निन्दा नहीं की।

मोदी जी के शासन में महिलायें और बच्चियां तक सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा शासित राज्यों में गुंडों के हौसले इस कदर बढ़ गये हैं कि उन्हें न शासन का डर है और ने देश के कानून का। कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि गुंडे लोग घरों से ही महिलाओं और बच्चियों का जबरन अपहरण करके उनके साथ बलात्कार कर उनकी हत्या करके सबूत ही मिटाने की कोशिश करते हैं। इससे महिलाओं में भय इस कदर व्याप्त है कि उन्हें घर और बाहर सभी जगह अपनी इज्जत लुटने का खतरा उनके सिर पर मंडराता रहता है। कठुआ (जम्मू और कश्मीर) और उन्नाव (उ. प्र.) में तो बच्चियों के साथ बलात्कारी भाजपा कार्यकर्त्ता ही थे जिन्हें बचाने में भाजपा पूरी तरह जुटी रही, पर अब मामला सी.बी.आई. की देख रेख में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है।

बिहार के मुजफ्फरपुर और पटना के आश्रम गृहों में महिलाओं के शोषण–उत्पीड़न की घटनायें सामने आई हैं। इन सबमें संचालकों और सरकारी अफसरों की मिली भगत दिखाई देती है जिसमें राजनेताओं की संलिप्तता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। जहां जहां ऐसे आश्रम गृहों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न–शोषण की घटनायें घटित हुई वहां प्रायः भाजपा शासित राज्य है, पर अफसोस है कि अपने इस कुशासन के प्रति वे कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इन राज्यों में जब ये आश्रम उन सरकारों के अनुदान पर चलते हैं तो इन आश्रमों में व्याप्त दुराचार की जिम्मेदारी भी उन्हें लेनी चाहिए।

मोदी जी के चार साल के शासन में गौरक्षा के नाम पर गौरक्षकों ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने में थोड़ी सी हिचक नहीं की। गौरक्षकों के गौरक्षा के बहाने धार्मिक सम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया। अब चाहे उत्तर प्रदेश में अखलाक को गौमांस रखने के मामले में जान से मारने का मामला हो, या फिर राजस्थान के अलवर व हरियाणा के मेवात (नूह) में गो तस्करी का मामला हो, वहां गौरक्षकों की भीड़ ने अकबर को पीट पीट कर मार द्वारा बेकसूर लोगों की मौत की घटनायें हर रोज घट रही हैं, ऐसे अपराधी लोगों पर लगाम लगाने की बजाय मोदी सरकार के मंत्री उन्हें जेल से जमानत पर छूटने पर फूलमाला पहना कर उनका स्वागत करता है, और भाजपा उसके कुकृत्य के लिए उसे न तो पार्टी से निकालती है और न ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। इससे ऐसे अपराधियों को और प्रोत्साहन मिल रहा है।

जब भीड़ द्वारा सरेआम ऐसे बेकसूर लोगों को मारने की घटनाओं पर विरोधी दल आवाज उठाते हैं तो हमारे केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह खुलेआम यह कहकर कि ऐसी भीड़तंत्र की घटनायें इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में भी हुई थी जिसमें हजारों सिख लोग मारे गये थे, ऐसी घटनाओं में शामिल भाजपा के लोगों का बचाव करते हैं, इससे देश में भीड़तंत्र को खुला हौसला मिलता है कि वे जब जहां चाहें किसी भी व्यक्ति की बिना कसूर हत्या कर दें। केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के इस कथन से भाजपा के नेता औार कार्यकर्त्ताओं के हौंसले बुलन्द हो गये, और अब आलम यह है कि अब मुसलमान अपने ही देश में खौफ के साये में जी रहे हैं।

अब तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में मंत्री लोग यह कहने से भी नहीं हिचकते कि यह भीड़ तंत्र की

चमार रेजीमेंट, जिसने लड़ी सबसे खूंखार लड़ाई

• जगराम चौधरी, रिवाड़ी

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के पेशवा शासकों के बीच 1818 में हुए भीमा कोरेगांव युद्ध को दलित अपनी अस्मिता के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि उस समय अछूत समझे जाने वाले महार समुदाय के लोग कंपनी की फौज में सैनिक थे। इसी जीत की 200वीं सालगिरह के दौरान पुणे के भीमा कोरेगांव में हुए विवाद में अब पूरा महाराष्ट्र सुलग रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अंग्रेजों की सेना में एक चमार रेजीमेंट भी थी जिसे सबसे शक्तिशाली मानी जाने वाली जापानी सेना से लड़ने के लिए भेजा गया था। दलितों की बहादुरी का जो नमूना महारों ने दो सौ साल पहले दिखाया था, उसे चमार रेजीमेंट में भी जोड़ा जा सकता था। दूसरे विश्वयुद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने थलसेना में चमार रेजीमेंट बनाई थी, जो 1943 से 1946 तक सिर्फ तीन साल ही अस्तित्व में रही।

चमार रेजीमेंट का इतिहास

'चमार रेजीमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जबानी' नामक किताब के लेखक सतनाम सिंह बताते है कि कोहिमा में चमार रेजीमेंट ने अंग्रेजों की ओर से 1944 में जापानियें के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक थी। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की मानी गई थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया। कोहिमा के मोर्चे पर इस रेजीमेंट ने सबसे बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इसलिए इसे 'बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड' से नवाजा गया था।

चमार रेजीमेंट को क्यों खत्म किया गया

चमार रेजीमेंट को बहाल करने की मांग करने वाले दलित नेता आरएस पूनिया कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेजों ने चमार रेजीमेंट को प्रतिबंधित कर दिया था। अंग्रेजों ने इसे 'आजाद हिंद फौज' से मुकाबला करने के लिए सिंगापुर भेजा। रेजीमेंट का नेतृत्व कैप्टन मोहन लाल कुरील कर रहे थे। कैप्टन कुरील ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजीमेंट के सैनिको के हाथों अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इसको आईएनए में शामिल कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। तब अंग्रेजों ने 1946 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया।

अंग्रेजों से युद्ध के दौरान चमार रेजीमेंट के सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ म्यांमार व थाईलैंड के जंगलों में भटक गए। जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरील को भी युद्धबंदी बना लिया गया, जिन्हें आजादी के बाद रिहा किया गया। वह 1952 में उन्नाव की सफीपुर विधान सभा से विधायक भी रहे। इस रेजीमेंट के दो सैनिक अभी जिंदा है। ये हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ के जीलाल और सोनीपत के धर्मसिंह।

क्या बहाल हो पाएगी यह रेजीमेंट

आजादी के बाद से ही चमार रेजीमेंट बहाल किए जाने की आवाज कई बार उठाई गई, लेकिन आवाज दबकर रह गई। दलित इस रेजीमेंट को बहाल करने के लिए कई राज्यो में प्रदर्शन कर चुके है। अब इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। दलित नेता कहते हैं कि इसे बहाल किया जाये। इसे लेकर पिछले दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग के तत्कालीन सदस्य ईश्वर सिंह ने रक्षा सचिव को नोटिस जारी किया था। जिसमें पूछा गया था कि आखिर इस रेजीमेंट को किन कारणों से बंद किया गया। ईश्वर सिंह का कहना है कि दलित किसी भी विषम परिस्थिति में रह लेता है। उतनी कठिनाई में शायद ही कोई और जीवन व्यतीत करता हो, फिर भी इनकी रेजीमेंट सेना में बहाल क्यों नहीं की जा रही है? बीजेपी अनुसूचित मोर्चा से जुड़े दलित नेता शान्त प्रकाश जाटव ने अक्टूबर, 2015 में केंद्र सरकार से इस रेजीमेंट की बहाली की मांग की थी। उनका दावा है कि इसी मांग पर नवंबर, 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लिखा था कि 'मामले की जांच करवा रहा हूं।'

हवलदार सुलतान सिंह ने 'चमार रेजीमेंट और अनुसूचित जातियों की सेना में भागीदारी' शीर्षक से किताब लिखी है। दूसरी किताब सतनाम सिंह ने 'चमार रेजीमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी' नाम से लिखी। इस समय सेना में मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूताना राइफल्स, राजपूत, रेजिमेंट जाट रेजिमेंट सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट गौरखा रेजीमेंट हैं। 'ब्रिटिश कालीन भारतीय सेना की संरचना में 'चमार रेजीमेंट' एक ऐतिहासिक अध्ययन विषय पर जेएनयू के मॉडर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट में रिसर्च चल रही है। रिसर्वर में सिंह का दावा है कि यह रेजीमेंट भी उतनी ही बड़ी थी, जितनी और जातियों के नाम पर बनी रेजीमेंट।•

डाला, देश के अन्य भागों में भी मुस्लिम नामों व पहनावे को देखकर गोभक्तों की भीड़ ने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस भीड़तंत्र के शिकार मुस्लिम लोग ही नहीं दलितों को भी बनाया गया। गुजरात के ऊना में वहां पांच दलितों को गौ अन्धभक्तों ने बिना कुछ छानबीन किये गौहत्या के मामले में लाठी डंडों से–पीट पीट कर अधमरा कर दिया। दलित अच्छे कपड़े पहनता है या मूंछे रखता है, या घोड़ी पर सवारी का शौक पालता है या घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालता है तो वह उच्च जाति के सवर्णों को बर्दास्त नहीं। और इस अपराध की सजा भीड़ तंत्र द्वारा मारपीट, अपमान, बेहज्जती से होती है। मोदी की शासन–प्रशासन इसके विरुद्ध उन्हें कोई रोकने वाली नहीं। यह भीड़ तंत्र घटनायें उनके कार्यकाल में पहली बार नहीं हो रही, देश की आजादी मिलने के समय में भी लाखों हिन्दू मुस्लिम मारे गये थे। इसलिए भीड़ द्वारा किसी की हत्या किये जाने के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं।

मोदी जी–आप सुशासन और लोगों के लिए अच्छे दिन लाने के वायदे पर चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बने हैं। अब बचे खुचे अपनी सरकार के दिनों में पहले अपने ऐसे मंत्रियों व भाजपा कार्यकर्त्ताओं पर लगाम लगायें जो भीड़तंत्र द्वारा हत्या करने को वाजिब बता रहे हैं। दूसरे आप भारत की जनता के लिए अच्छे दिन वापिस लाने के लिए अपने वर्तमान सुशासन में बदलें ताकि आगामी चुनावों में फिर से खुलकर तुम्हारे साथ आ सकें।

– डा. सुमनाक्षर

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**

नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।

सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009